न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –09/2025 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2025/46

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर, निवासी वार्ड नं0 7 शीतला माता रोड़ खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा), को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 29 .07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग की रोकथाम अभियान के तहत दिनांक 21.02.2025 को जांच दल में सम्मिलित अदिति जगरवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री राहुल मीणा, जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) एवं श्री कृष्ण कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) कोटा के निर्देशानुसार पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा ग्रामीण द्वारा दिनांक 14.2.2025 को शीतला माता रोड़ खैराबाद से डिटेन कर शुभम गैस एजेन्सी सुकेत को संभलाए गये 11 गैस सिलेण्डर्स के प्रकरण में जांच हेतु शुभम एच.पी. गैस एजेन्सी सुकेत रोड रामगंजमण्डी मौके पर पहुंचे । मौके पर दीपक राठौड पुत्र रमेशचंद राठौड निवासी सूरज मेडिकल स्टोर के सामने मंगलपुरा टेक, जिला झालावाड उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को शुभम एचपी गैस एजेन्सी में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत होना बताया एवं दिनांक 14.2.2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंजमण्डी द्वारा गैस एजेन्सी को संभलाए गये 11 घरेलू गैस सिलेण्डर्स की तहरीर रिपोर्ट की कार्बन कॉपी प्रस्तुत की है । उक्त रिपोर्ट अनुसार पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के कार्यालय से प्राप्त परिवाद कमांक 302125 दिनांक 27.01.2025 एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा के पत्रांक/सतकर्ता/2025/ दिनांक 28.01.2025 परिवाद की जांच के कम में रेवतीरमन उप निरीक्षक पुलिस थाना रामगंजमण्डी द्वारा मय जाब्ता शीतला माता रोड वार्ड नं0 07 खैराबाद में सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर के मकान से 7 भरे हुए 4 खाली गैस सिलेण्डरों को बरामद कर शुभम एच पी गैस एजेन्सी सुकेत में कार्यरत श्री राधेश्याम सुमन को संभलाये गये थे । श्री राधेश्याम सुमन पुत्र मोतीलाल निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, रामगंजमण्डी द्वारा मौके पर अवगत कराया गया कि दिनांक 14.2.2025 सांय 5.00 बजे पर थानाधिकारी पुलिस थाना रामगंजमण्डी द्वारा शीतला माता रोड वार्ड नं0 7 सन्टूराजा के मकान से 11 घरेलू गैस सिलेण्डर्स बरामद कर उन्हें संभलाये गये थे । शुभम एच पी गैस एजेन्सी के रामपुरिया रोड पावर हाउस के पीछे स्थित गोदाम में रखे उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों

का अवलोकन कर संलग्न प्रपत्र में विवरण अंकित किया गया । आरोपी सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर के मो0नं0 9950306716 पर सम्पर्क कर मौके पर बुलाया गया एवं पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 14.2.2025 को पुलिस उप निरीक्षक श्री रेवतीरमन के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता थाना रामगंजमण्डी द्वारा वार्ड नं0 7 शीतला माता रोड खैराबाद स्थित मकान का मौका मुआयना कर 11 सिलेण्डर बरामद किये गये थे एवं शुभम एच पी गैस एजेन्सी सुकेत को संभलाये गये है । प्रथम दृष्टया सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर निवासी खैराबाद द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जेराज लिया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 30500/– है । उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	048423	14.2	17.1	31.4	14.3	घरेलू
2	IOCL	043094	14.2	15.2	29.6	14.4	घरेलू
3	IOCL	090029	14.2	15.9	30.0	14.1	घरेलू
4	IOCL	048608	14.2	16.6	30.8	14.2	घरेलू
5	IOCL	04832	14.2	17.9	31.8	13.9	घरेलू
6	IOCL	690055	14.2	16.0	30.3	14.3	घरेलू
7	IOCL	048831	14.2	15.8	30.1	14.3	घरेलू
8	IOCL	168740	14.2	15.2	15.3	0.1	घरेलू
9	HPCL	538871	14.2	15.8	21.2	5.4	घरेलू
10	HPCL	494935	14.2	15.7	15.8	0.1	घरेलू
11	HPCL	270317	14.2	16.0	16.0	--	घरेलू
कुल योग			156.2	177.2	282.3	105	

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित तथा अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एम. एस. सिद्दिकी का वकालतनामा पेश हुआ, किन्तु वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर स्वयं अप्रार्थी द्वारा ही जवाब पेश किया तथा जवाब ही बहस मानने हेतु अप्रार्थी सन्टू द्वारा निवेदन किया जो पत्रावली शामिल है । पेरोकार रसद की बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर के द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैधरूप से संग्रहण किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी ने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस बिल्कुल गलत है, प्रार्थी न तो गैस सिलेण्डर का व्यवसाय करता है ना ही गैस भरने का कार्य करता है । प्रार्थी मैकेनिक का कार्य करता है उसका सर्विस गैराज खैराबाद वार्ड नं0 7 मैन रोड पर स्थित है । पुलिस थाना अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र के बाहर जाकर प्रार्थी के पास से जो 11 सिलेण्डर जप्त होना बताया है वह प्रार्थी के नहीं है, प्रार्थी के नाम तो मात्र 3 सिलेण्डर है , प्रार्थी के पडोस में मेहराज पत्नि अनवर हुंसेन नामक युवती का स्वर्गवास होने के कारण उनके द्वारा सिलेण्डरों की व्यवस्था की थी उनके यहां सिलेण्डर रखने की जगह नहीं होने के कारण प्रार्थी के मकान के बाहर आरजी तोर पर उक्त सिलेण्डर रखे गये थे, उक्त सिलेण्डरों से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है । प्रार्थी के पास तो मात्र तीन ही सिलेण्डर थे जो कि उसके परिवार के सदस्यों के नाम है उनको भी पुलिस वाले जबरन अपने साथ ले गये जबकि पुलिस वालों को गैस सिलेण्डर जप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थी को गलत रूप से उक्त कैस में लिप्त किया गया है जबकि प्रार्थी का उक्त जप्त सिलेण्डरों से कोई वास्ता नहीं है । पूरी पत्रावली में मकान के अन्दर जप्त किये गये सिलेण्डरों की कोई विडियो ग्राफी व फोटो पेश नहीं किये गये है । इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के मकान से कोई सिलेण्डर जप्त नहीं हुये है । अतः प्रार्थी के विरूद्व खोली गई उपरोक्त कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश फरमाया जावे ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर सन्टू राजा पुत्र आजाद टेलर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा.) को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों से कोई वास्ता नहीं होना बताया है तथा उक्त गैस सिलेण्डर पडोस में मेहराज पत्नि अनवर हुंसेन नामक युवती का स्वर्गवास होने के कारण उनके द्वारा सिलेण्डरों की व्यवस्था की जाना व उनके गैराज के पास रखने का कथन किया है जबकि अप्रार्थी के विरूद्व शिकायती परिवाद जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त होने पर उक्त परिवाद को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा को भिजवाया जाने पर उक्त शिकायती परिवाद की जांच करने पर उक्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के पास से बेवजह एवं बिना सक्षम स्वीकृति के संग्रहण किया जाना पाया जाने से जब्त किया गया है । अप्रार्थी द्वारा जवाब में दिया गया तर्क आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का संग्रहण किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधो का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाने योग्य पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 11 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscate किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

7. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा